तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील ... में जारी हुए
	बहस प्रार्थना-पत्र 212 LRA. पत्रावली दिनांक 6-3-26 को पेश हो।	
6-3-26	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उप. वास्ते बहस प्रा०पत्र पत्रावली 27-3-26 को पेश हो।	
27-3-26	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उप. वास्ते बहस समय उभयपक्ष चाहा गया वास्ते बहस पत्रावली 17-4-26 को पेश हो।	
17-4-26	पत्रावली पेश हुई अधिवक्तागण परिषद इन्तखाब ने कार्य स्थगित रखा वास्ते बहस पत्रावली 1-5-26 को पेश हो।	
1-5-26	पत्रावली पेश हुई बार इन्तखाब ने कार्य स्थगन की सूचना दी गई वास्ते बहस उभयपक्ष पत्रावली 15-5-26 को पेश हो।	
15-5-26	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 [illegible] निबंधता पर सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी ख.न. 325, 325/1951 356 कित्ता 3 योग रकबा 3.23 हेक्टेयर वाके ग्राम [illegible] स्थित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के नाम गैरखातेदारी में दर्ज है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थी के अधिवक्ता ने ...

उक्त वादीत भूमि रामनारायण प्रार्थीया के आवंटन हुई थी अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 का पिता अप्रार्थी सं. 6 का पति सीताराम आवंटी रामनारायण का ही सगा भाई था जो वक्त आवंटन नाबालिग था। सीताराम के नाम आवंटन होना सम्भव नहीं था। सेटलमेन्ट अधिकारियों ने सीताराम को अवाप्ति भूमि 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि को रामनारायण को शामलाती खाता कायम करके अवाप्ति भूमि को का शामलाती खाता कायम करके सम्पूर्ण भूमि 3.23 हैक्टर में 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित कर दिया गया जो सर्वथा अवैध है क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/5 है। अप्रार्थीगण गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर विवादित आराजी को रहन बय कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी और निवेदन किया कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 को ता फैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने वादी अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया की वक्त आवंटन रामनारायण व सीताराम को पृथक-पृथक आवंटन हुआ था अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के पिता तथा अप्रार्थी सं. 6 के पति को अवाप्ति भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज रामनारायण को आवंटित भूमि में अप्रार्थीगण का 1/5 हिस्से का पैतृक अधिकार है, और निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण प्रतियों से स्पष्ट है कि रामनारायण व सीताराम को पृथक-पृथक आवंटन हुआ था चूंकि भूमि अभी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 सहखातेदार एक ही परिवार के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रथम दृष्टया अपूरणीय क्षति व सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है, जहां तक व्यवस्था, खातेदारी के हक अधिकार मूल वाद में दस्तावेजी, साक्ष्य, के आधार पर तय होंगे ऐसी स्थिति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर सलंग्न मूलवाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]